

संख्या १५८ / XXVII(7)50(31) / 2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषय : राज्य के कोषागार सर्वग के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त, 2008 तक प्रभावी समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या 1255/04(2)कोषागार संगठन/नि0को0पें0ह0/2016, दिनांक 16 अगस्त, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोषागार सर्वग के ऐसे कार्मिकों को जिनको समयमान वेतनमान के अन्तर्गत रू0 6500-10500 उच्चिकृत वेतनमान 7500-12000 (पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4800), 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम प्रोन्नतीय वेतनान के रूप में अनुमन्य किया गया है, को द्वितीय प्रोन्नतीय वेतनमान/द्वितीय वित्तीय स्तरोननयन के रूप में देय वेतनमान/ग्रेड वेतन 15600-39100 ग्रेड पे 5400 की अनुमन्यता के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन मांगा गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागार सर्वग में 80:20 के सिद्धान्त पर संवर्गीय पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पदोन्नतीय पंद की प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण विषयगत प्रकरण पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 368/XXVII(3)स.वे/2005, दिनांक 23 अगस्त, 2005 के प्रस्तर 2(1) एवं (2) में तथा वित्तीय स्तरोननयन की वर्तमान व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर 2(4) में दी गयी व्यवस्था के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या — (1)/XXVII(7)50(31)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।